संख्या- /9-3-2023

प्रेषक,

अरविन्द कुमार गिरि,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2023

विषय:-वेतन समिति-2008 के 12वें प्रतिवेदन के माध्यम से स्थानीय निकायों के सामान्य कोटि के पदों के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मानचित्रकार (Draftsman) के पद हेतु रू0 2800/- ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31.05.2013 के प्रस्तर-11(ii) में स्थानीय निकायों के मानचित्रकार के पदों पर वेतनमान अनुमन्य किये जाने के बारे में निम्न व्यवस्था की गयी है:-

" उक्त संस्थाओं के मानचित्रकार के पदों पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता के स्थान पर राजकीय विभागों के समान अर्हता (राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मानचित्रकार का प्रमाण पत्र अथवा राज्य कला महाविद्यालय लखनऊ से वास्तुविद् सहायक का तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद/मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियन्त्रण का 03 वर्षीय डिप्लोमा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रदत्त मानचित्रकारी का प्रमाण पत्र) निर्धारित करते हुए वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में

वेतन बैण्ड-1 में ग्रेड वेतन रू0 2800 तत्काल प्रभाव से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराया जाय कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी।"

2. उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत नगर विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन स्थानीय निकायों में से केवल जलकल विभाग, नगर निगम, प्रयागराज में मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समैन) का एकमात्र पद उपलब्ध है। यह पद उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (पदनाम, वेतनक्रम, अर्हताएं, वाहन भत्ता और भर्ती रीति) आज्ञा, 1963 से आच्छादित है और इसमें उक्त पद की शैक्षिक अर्हता "किसी मान्यता प्राप्त प्राविधिक संस्था से सिविल अभियन्त्रण का 03 वर्षीय डिप्लोमा" है जैसा कि वित्त के उक्त शासनादेश में वर्णित है। उक्त पद के पदधारक द्वारा सेवायोजन के समय से ही उक्त अर्हता धारित है।

3. वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31.05.2013 के प्रस्तर-11 (ii) की व्यवस्था पर सम्यक विचारोपरान्त जलकल विभाग, नगर निगम, प्रयागराज में उपलब्ध मानचित्रकार के उक्त पद के लिये ग्रेड वेतन रू0 2400/- के स्थान पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 2800/- तत्काल प्रभाव से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य किया जाता है कि इस पर आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को सम्बिन्धत संस्था द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-29/दस-2023, दिनांक 18.12.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार गिरि)
अनु सचिव

Digitally Signed by
अरविन्द कुमार गिरी
Date: [illegible]-12-2023 [illegible]:25:04
Reason: Approved

...3

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

(2) जिलाधिकारी, प्रयागराज।

(3) नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।

(4) महाप्रबंधक, जलकल विभाग, नगर निगम, प्रयागराज।

आज्ञा से,

Digitally Signed by
अरविन्द कुमार गिरी
Date: 19-12-2023 11:26:20
Reason: Approved

(अरविन्द कुमार गिरि)
अनु सचिव।